न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 05/2020 **FSSA**

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मनोहर लाल अग्रवाल विक्रेता
   मैसर्सः— अग्रवाल इण्डस्ट्रीज, जी 1—45, इण्डस्ट्रीयल एरिया, कौलाना, बांदीकुई।
2. श्रीमति मीरा देवी गुप्ता प्रोपराईटर
   मैसर्स अग्रवाल इण्डस्ट्रीज, जी 1—45, इण्डस्ट्रीयल एरिया, कौलाना, बांदीकुई।

— अभियुक्तगण—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अधिवक्ता अप्रार्थी श्री सोमेश्वर प्रकाश गर्ग उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 08.06.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 11.10.2019 को दोपहर 01:15 बजे मैसर्सः— अग्रवाल इण्डस्ट्रीज, जी 1—45, इण्डस्ट्रीयल एरिया, कौलाना बांदीकुई स्थित कारखाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय कारखाने पर विक्रेता श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मनोहर लाल अग्रवाल उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता के कारखाने पर 200 कट्टो में 50 किग्रा वजनी पैक आटा (श्री गोपाल जी भोग) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इनमें से एक पैक कट्टे को खोलकर इसमें से हिलामिलाकर नमूने की जॉच हेतु 2 किलोग्राम आटा (श्री गोपाल जी भोग) खरीदा। जिसे विक्रेता ने एक साफ, सूखी एवं खाली प्लास्टिक की थैली में तोलकर दिया। जिनकी कीमत 46 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किलोग्राम आटा (श्री गोपाल जी भोग) को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर—बराबर डालकर डिब्बों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर डिब्बों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड

एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–2269 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ(विक्रेता) श्री अनिल कुमार के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान के हस्ताक्षर कर चारो सील्ड बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 10.03.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 10.03.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 14.03.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (श्री गोविन्दजी) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./526/एक्ट/2017/593 दिनांक 3.4.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (श्री गोविन्दजी) का नमूना मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./526/एक्ट/2017/593 दिनांक 3.4.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (श्री गोविन्दजी) का जो नमूना लिया गया था। उक्त नमूने के पाउच पर बैच नम्बर तथा **Date of Mfg/Pkg** अंकित नहीं था। उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (श्री गोविन्दजी) के पाउच पर **Best before 6 months** के स्थान पर **BEST BEFORE 6 MONTHS FORM PACKAGING/MANUFACTURE** अंकित होना चाहिये था। नमूने के लेबल पर मिथ्या जानकारी अंकित होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ को मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (श्री गोविन्दजी) के सैम्पल की जाचं के दौरान इस सैम्पल में **Synthetic Food Colour Sunset Yellow** पाया गया है। जो कि नहीं होना चाहिये था। सैम्पल में **Synthetic Food Colour** पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने मिसब्राण्ड एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (श्री गोविन्दजी) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है तथा आम जनता को मिलावटी खाद्य पदार्थ का विक्रय कर आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एवं 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे ताकि अप्रार्थी अभियुक्त भविष्य में ऐसी गलती न दोहरा सके।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल की कार्यवाही करने से पहले एफबीओ को कोई लिखित में नोटिस नही दिया तथा ना ही दो या दो से अधिक स्वतंत्र गवाहो को बुलाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मेन्डेटरी प्रावधानो की पालना नही की है तथा मनमाने रूप से सारी कार्यवाही अपने साथ में लाये कर्मचारियों के साथ मिलकर पूरी की है। सैम्पल लेने से पूर्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर जो जप्त करना बताया है। उक्त खाद्य पदार्थ का उत्तरदाता मैन्युफेक्चरिंग निर्माता नहीं है। खाद्य पदार्थ निर्माता व मैन्युफेक्चरिंग कर्ता कम्पनी अग्रवाल मसाला उद्योग स्टेशन रोड भरतपुर राजस्थान को पक्षकार नहीं बनाया गया है और निर्माता फर्म से किसी प्रकार की कोई जांच भी नहीं की गई है। जबकि उक्त पैकिटो पर निर्माता फर्म का नाम स्पष्ट रूप से अंकित है। मात्र उत्तरदाता को फसाने की गरज से निर्माता फर्म को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि कानूनी रूप से आवश्यक पक्षकार था। ऐसी सूरत में उक्त परिवाद अपूर्ण होने के कारण चलने योग्य नहीं है। अतः उक्त इस्तगासा कानूनी व विधि प्रावधानों के विपरीत व अपूर्ण होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./526/एक्ट/2017/593 दिनांक 3.4.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (श्री गोविन्दजी) का नमूना मिसब्राण्ड एवं सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने उक्त मिसब्राण्ड एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (श्री गोविन्दजी) का आमजन को विक्रय कर आमजन के जीवने के साथ खिलावाड किया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में सबस्टैण्डर्ड एवं धारा 52 में मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ विक्रय किये जाने पर जुर्माना निर्धारित किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (श्री गोविन्दजी) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री अनिल कुमार पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता एफबीओ मैसर्सः– अनिल एण्ड ब्रदर्स, बस स्टैण्ड, मण्डावर, तहसील महवा जिला दौसा पर 25000/–(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 08.06.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांकः/ दिनांकः– .06.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

3. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
4. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
4. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता
   एफबीओ मैसर्सः– अनिल एण्ड ब्रदर्स, बस स्टैण्ड, मण्डावर, तहसील महवा जिला दौसा।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा